

—:प्रेस नोट:—

दिनांक 13.09.2020

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद बांदा।

15किलो अवैध गांजे के साथ 02 तस्कर गिरफ्तार। 2 लाख 6 हजार रूपये भी बरामद।

जनपद में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी नियन्त्रण एवं रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा दिये गये आदेश निर्देशों के क्रम थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को 15 किलों अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि थाना कोतवाली नगर बांदा पुलिस को मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि चौकी कालूकुआं क्षेत्रान्तर्गत पल्हरी के पास मोटरसाईकिल से कहीं से आये है तथा उनके पास झोले में गांजा है। सूचना पर तत्काल संज्ञान लेकर प्रभारी चौकी बलखण्डी नाका के साथ हमराह पुलिस बल को रवाना हुये मौके पर पहुंचे तो पाया गया कि 02 मोटर साईकिल सवार 02 पिठटू बैग लेकर बैठे थे, पुलिस को देखकर भागने लगे प्रभारी चौकी बलखण्डी नाका सहित भेजे गये पुलिस बल द्वारा तत्परता दिखाते हुये मोटरसाईकिल सवार दोनों लोगों को पकड़ लिया गया। तलाशी से बैग में रखा सूखा गांजा बरामद हुआ तथा 02 लाख 6 हजार रूपये भी बरामद किये गये। पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा अपना नाम शैलेन्द्र सिंह पुत्र स्व० विश्वनाथ सिंह निवासी तकिया बाबा बलखण्डी नाका थाना कोतवाली नगर बांदा तथा अशोक पुत्र स्व० रामऔतार निवासी भज्जू सिंह का पुरवा ग्राम गुरेह थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा बताया गया। कोतवाली नगर बांदा पुलिस द्वारा की गयी गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों को जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है।